समाहरणालय, औरंगाबाद

(जिला प्रोग्राम शाखा)

E-mail- dpo.icds.augbd-bih@gov.in Mobile No.:- 9431005027

समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) औरंगाबाद अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन संबंधी विज्ञापन।

विज्ञापन संख्या–03 / 2025

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि औरंगाबाद जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं (आंगनबाड़ी सेवाएं) अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं से महिला पर्यवेक्षिका के 16 रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक–1846 दिनांक 10.06.2010 एवं संशोधित पत्र पत्रांक–5994 दिनांक 31.12.2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त मार्गनिर्देशो के आलोक में औरंगाबाद जिला में कार्यरत इच्छुक आंगनबाड़ी सेविकाओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक –1411 दिनांक–21.02.2025 के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन पोर्टल का लिंक http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx पर अपना पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर सकेंगी। नियोजन हेतु जिले में रिक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना एवं ऑनलाईन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया (User Guideline) के रूप में भी औरंगाबाद जिले के अधिकारिक वेबसाईट पर प्रदर्शित है एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0 समाहरणालय औरंगाबाद सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

1. **औरंगाबाद जिला में रिक्त 15 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है:–**

क्रमांक	आरक्षण कोटि	रिक्ति की संख्या
1	अनुसूचित जाति	03
2	अनुसूचित जन जाति	0
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	07
4	पिछड़ा वर्ग	04
5	पिछड़ा वर्ग की महिला	01
06	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00
07	अनारक्षित वर्ग	01
	कुलः–	16

2. रिक्त पदो पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की समय–सीमा निम्नवत है:– ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की तिथि 27.09.2025 से 18.10.2025 तक संध्या 05:00 बजे तक स्वीकार किए जाऐंगे।

   (दिनांक–18.10.2025 के संध्या 05:00 के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाऐंगे)
3. आवेदिका द्वारा पूर्णतः भरे हुए ऑनलाईन आवेदन प्रिन्टऑउट की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रो के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0 समाहरणालय, औरंगाबाद पिन कोड–824101 के पते पर अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। लिफाफे के उपर बॉयी ओर " आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन" लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथो–हाथ स्वीकार नहीं किए जाऐंगे। बिना ऑनलाईन आवेदन अथवा निर्धारित समय–सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगें। आवेदन की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगी। साथ हीं अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा की वे

नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगी। निबंधित डाक विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिनों के अन्दर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 औरंगाबाद के कार्यालय अवधि में स्वीकार किये जायेंगे। बाद में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाऐगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर भेजना अनिवार्य होगाः–

i. मैट्रिक परीक्षा के उर्तीणता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(यदि हो तो इन्टर स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के उत्तिर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र)

ii. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अवासीय प्रमाण पत्र।

iii. राजपत्रित पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

iv. **जाति प्रमाण पत्र**–आरक्षित वर्गो के लिए जो लागू हो, यथा–जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलीयर प्रमाण पत्र, अतिपिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य वर्ग हेतु) संबंधी प्रमाण पत्र।

v. **अनुभव प्रमाण पत्र**–अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षो तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है।

vi. जिन आंगनबाड़ी सेविका का राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो संबंधित प्रमाण पत्र।

vii. अन्य प्रमाण पत्र जो लागू हो।

4. आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध के पद पर नियोजन के संबंध में आवश्यक योग्यता।

I. अभ्यर्थी केवल कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका से हो।

II. अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो।

III. अभ्यर्थी औरंगाबाद जिला की स्थाई निवासी हो। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।

IV. <u>शैक्षणिक योग्यताः–</u>
न्यूनतम योग्यता – मैट्रिक/समकक्ष उर्त्तीण

V. चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अर्थात–01.01.2025 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

VI. उम्र सीमा– विज्ञापन वर्ष–2025 के पहली जनवरी को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जायेगी।

अभ्यर्थी को इस आशय् का अन्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

5. वांछित सूचनाएँः–

i. शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी।

ii. आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र मान्य होगें।

iii. आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चत्तर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा तभी उनके उच्चत्तर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा।

iv. मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (Extra) विषयों के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य (Compulsory) एवं ऐच्छिक (Optional) विषयों को जोड़ा जाएगा।

v. प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चत्तर परीक्षाओं (इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर) के लिए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाऐंगे।

vi. प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के लिए 10 अंक दिए जाऐंगे। उसके पश्चात् सेवा में प्रत्येक अनुवर्त्ती पूर्ण वर्ष के लिए 01–01 अंक यह अंक केवल उसी अवधि के लिए देय होगी, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो।

vii. विभिन्न श्रोतों से प्राप्त अंको के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदनोपरांत रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक प्राप्त करने वाली सेविकाओं का नियोजन महिला पर्यवेक्षिका के पद पर की जाएगी।

viii. यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को मेधा क्रम में उपर रखा जाएगा।

ix. अनियमितता के आरोप में चयनमुक्त आंगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी।

x. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–411 दिनांक 16.01.2025 के आलोक में अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय/पारिश्रमिक 27500/– प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 120 रूपया प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/–प्रतिमाह) निर्धारित है।

xi. अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है।

"विज्ञापन एवं सेवा–शर्तो से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के अधीन है। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित है।"

नोटः– संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4068, दिनांक 20.08.2024 के निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली मे दायर SLP (C) में पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत नियोजन प्रभावित होगी।

विस्तृत मार्गनिर्देश यथा–अहर्ता/आवेदन देने की प्रक्रिया आदि संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय आई0सी0डी0एस0, औरंगाबाद के सूचना पट्ट अथवा औरंगाबाद जिला के अधिकारिक https://aurangabad.bih.nic.in/ वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।